न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

निकासी संख्या 24/2018

शम्भू पुत्र श्री सूजाराम नाई जाति नाई निवासी ग्राम केसरीसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जगदीश बागडा पुत्र श्री मोती बागडा जाति बागडा निवासी ग्राम केसरीसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
1/1 श्रीमती दाखा देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश बागडा।
1/2 मदन लाल बागडा पुत्र स्व0 श्री जगदीश बागडा।
1/3 मूलचन्द बागडा पुत्र स्व0 श्री जगदीश बागडा।
1/4 बंशी बागडा पुत्र स्व0 श्री जगदीश बागडा
जाति बागडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम केसरीसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
1/5 कमली देवी पत्नी श्री कानजी पुत्री स्व0 श्री जगदीश बागडा निवासी श्री रामपुरा बालावाला के पास सांगानेर जयपुर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.1976 पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जयपुर

निर्णय

दिनांकः— 6.8.19

अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर के आदेश दिनांक 15.05.1976 के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि ग्राम केसरीसिंहपुरा, पटवार क्षेत्र झरना, भू.अ.नि. क्षेत्र महला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान में खसरा नंबर 293 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा स्थित है जिस पर प्रार्थी अपीलार्थी के पूर्वज वर्षों से कब्जा काश्त करते आ रहे है। अपीलार्थी के दादा जानकीलाल नाई द्वारा उक्त भूमि पर अपने व अपने परिवार के रिहायश तथा पशुओं की रिहायश हेतु मकानात व बाडे का निर्माण किया तथा फसल बोकर अपने व अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता रहा।

खसरा नंबर 293 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई की भूमि थी तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा रिहायश एवं पशुओं घर मकानात व बाडे का निर्माण किया था, जो कि लगभग 2 बिस्वा भूमि में से जिसे आबादी भूमि कर दिया गया, चूंकि अपीलार्थी वर्षों से खसरा नंबर 293 की 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर काबिज था तथा इसमें 2 बिस्वा भूमि पर मकानात व बाडा बनाकर रह रहा था इसी कारण ग्राम पंचायत झरना, पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के द्वारा आबादी भूमि का पट्टा अपीलार्थी के पक्ष में जारी कर दिया जिस पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 293 में से होकर ही निकलता था तथा अपीलार्थी वर्षों से इसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 ने अपीलार्थी के आवागमन में अवरोध उत्पन्न किया जिसका अपीलार्थी द्वारा घोर विरोध किया गया लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 नहीं माना एवं झगडे फसाद पर आमदा हो गया। राजस्व रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ कि खसरा नंबर 293 रकबा 2 बीघा भूमि की खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज करवाली तथा उसका पृथक खसरा नंबर 293/1 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराया

हुए उक्त सरकारी भूमि समस्त नियमों को दरकिनार करते हुए अपने आदेश दिनांक 15.05.1976 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित कर उसके नाम खातेदारी इन्द्राज करने का आदेश दे दिया तथा भूमि की प्रवृत्तियों को भी परिवर्तित कर दिया। जबकि खसरा नंबर 293 गैर मु. तलाई की भूमि थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धार 16 के अनुसार गै. मुमकिन तलाई की भूमि पर खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते। अपीलार्थी के दादा जानकी लाल उक्त खसरा नंबर 293 की भूमि पर वर्षों से काबिज है तथा जिन्हें दिनांक 16.12.1965 को तहसीलदार दूदू द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) भू राजस्व अधिनियम प्रेषित किया गया। तत्पश्चात जिन्हें दिनांक 08.06.1982 उपं 20.09.1982 को अपीलार्थी को राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस प्रेषित किया गया जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा था। विपक्षी संख्या 1 विवादित भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रहा, ऐसी सूरत में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा खसरा नंबर 293 रकबा 2 बीघा की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक करने का आदेश दिनांक 15.05.1976 गैर नियमानुसार है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.1976 में अंकित किया कि गैर सायल (प्रत्यर्थी संख्या 1) का खसरा नंबरान 285, 286, 293, 283 पर अपनी खातेदारी के निकट पट्टी के रूप में कब्जे काश्त है तथा प्रार्थी (प्रत्यर्थी संख्या 1) भूमिहीन की श्रेणी में आता है। इन्हीं आधारों पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने गै.मु. तलाई की भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी में स्वीकार कर ली। अपने आलौच्य आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 2 एकतरफ तो प्रत्यर्थी संख्या 2 एकतरफ तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को विवादित भूमि के निकट स्थित भुमि का खातेदार बताता है तथा दूसरी तरफ प्रत्यर्थी को भूमिहीन बताता है तथा यह जानते हुए भी कि गै.मु. तलाई की भूमि को किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती है, प्रत्यर्थी को विनियमित कर दी।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.1976 के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 163 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत केसरीसिंहपुरा द्वारा तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। उक्त कार्यवाही/आदेश के बाद खसरा नंबर 293 के दो हिस्से खसरा नंबर 293/1 एवं 293/2 हो गए। खसरा नंबर 293/1 राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी इन्द्राज हो गया। तत्पश्चात खसरा नंबर 293/1 के नए खसरा नंबर 414 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नंबर 293/2 के नए नंबर 412 रकबा 0.03 हो परिवर्तित हो गए तथा वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नबर 414 (नए) तथा 293/1 (दूसरे) की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम है जो कि कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त की प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 15.05.1976 के द्वारा खसरा नंबर 283, 289, 286 भी प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित करने के आदेश पारित कर दिए जबकि नियमानुसार उक्त आवंटन भी अवैध हैं क्योंकि आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं था ना ही विवादित भूमि पर काबिज था। अतः आदेश दिनांक 15.05.1976 निरस्त किए जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। बाद तामील पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वज बरसों से काबिज काश्त थे। खसरा नंबर 293 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई की भूमि थी जिसमें से 2 बिस्वा भूमि आबादी की थी जिसका ग्राम पंचायत झरना पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के द्वारा आबादी भूमि का पट्टा अपीलार्थी के पक्ष में जारी कर दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 293, 285, 286, 283 जिनकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता तलाई व नहरी थी कि किस्म परिवर्तित कर बारानी प्रथम में परिवर्तित कर प्रत्यर्थी को आक्षेपित आदेश दिनांक 15.05.1976 के द्वारा आवंटित कर दी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार गैर मुमकिन तलाई नदी नाले की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलार्थी ने

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 15.05.1976 के आदेश को चुनौतित किया जिसको लगभग 40 वर्ष हो गये है फिर भी अपीलार्थी ने धारा 5 समयावधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए अपील सरसरी तौर पर ही अवधि बाहर कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त नही की। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया खसरा नंबर 293 की 2 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी ने मकानात व बाडा बनाकर रह इसी कारण ग्राम पंचायत झरना पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के द्वारा आबादी भू पट्टा अपीलार्थी के पक्ष में जारी कर दिया गया। जब विवादग्रस्त भूमि गैरमुमकिन तल तो अपीलार्थी को सर्वप्रथम अपने पट्टे को निरस्त करवाना चाहिए थे क्योंकि अपीलार्थी पट्टा प्राप्त किया है वह भी गैर मुमकिन तलाई में ही पट्टा प्राप्त किया है। खसरा नंबर अपीलार्थी के पूर्वजों से कब्जा है तो अपीलार्थी अपने आप एक अतिक्रमी की श्रेणी में है जो किसी भी प्रकार की राहत न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आव कमेटी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन करने से पूर्व सिवाय चक में कन्वर्ट करवा लिया उसके बाद सम्पूर्ण प्रकिया अपनाने के बाद ही प्रत्यर्थी को विवादग्रस्त भूमि आवंटित की है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि को आवंटित किये जाने के संबंध में आवंटन कमेटी के समक्ष भी कोई प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है।

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टांतों का बगौर अवलोक किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तु न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है मियाद के संबंध में अपीलार्थी ने अवधि अधिनियम में विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत अपील जो वि आवंटन के लगभग 40 वर्ष पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी ने इतने लम्बे समय पश्चात अपील प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अपील मीमो में अंकित नहीं किया है जबकि धारा 5 मियाद अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विलम्ब के समय को कण्डोन करने बाबत अपीलार्थी विलम्ब के कारणों का विस्तृत रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत अपील के साथ प्रस्तुत करेगा। लेकिन अपीलार्थी ने अपील के साथ ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर धारा 5 के प्रार्थना पत्रों के संबंध में यह स्पष्ट रूप से अपने निर्णयों में अंकित किया है कि प्रार्थी विलम्ब के समय में तब तक रिलीफ प्राप्त नहीं कर पायेंगे जब तक वह विलम्ब के कारण का कोई यथोचित स्पष्टीकरण अंकित नहीं करेगा। अपीलार्थी ने अपील मीमो के साथ ही धारा 5 का प्रार्थना पत्र तो प्रस्तुत किया ही नहीं, साथ ही धारा 96 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। स्पष्ट है कि अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने व धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर